न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर0ए0एस

मि0न0 – 04 / 2025

अनवान : –

1. रणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
2. जयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. हरीराम पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा मृत जरिये विधिक प्रतिनिधिगण
   - 1/1 नाथी देवी पत्नी हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/2 मुर्ति देवी पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/3 गुड्डी देवी पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/4 कमला देवी पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/5 सावित्री देवी पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/6 साहबराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/7 शिशपाल पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
   - 1/8 महावीर पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
2. गिरधारी पुत्र उदाराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
3. श्रीपाल पुत्र मगनरीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।
4. रेशमा पत्नी मगनीराम जाति जाट साकिन भरवाना तहसील भादरा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट

उपस्थिति :—श्री धर्मपाल बेरवाल प्रार्थीगण
श्री सतवीर बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 06.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 3 की 0.253 है0 किला नम्बर 4 की 0.253 है0 किला नम्बर 5 की 0.126 है0 कुल 0.632 है0 नहरी भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 के पास चक 3 एमएसआर के मुरब्ब नम्बर 88 के किला नम्बर 16, 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 91 के किला नम्बर 1 ता 4 किला नम्बर 7 एवं 8 ता 13 की कुल [illegible] तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पास चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर [illegible] 2, 9 ता 12, 19 ता 22, मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 5 कुल 2.656 है0 नहरी मय गै0मु0 खाला दर्ज रिकॉर्ड है अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के पास चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 88

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:08 IST
Reason: SelfAttested

...धिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

किला नम्बर 1, 2, 6 ता 15, 17 ता 20 की कुल 4.048 है0 नहरी भूमि मय मै0मु0 ...ा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है।

...ार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के रोही मौजा ...3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 व 22 में पूर्व से पश्चिम दक्षिण ...ा पर खाला की 2–2 बिस्वा भूमि को छोड़कर तथा मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 6, ...16 व 25 में दक्षिण से उतर पूर्वी सीमा पर खाला की 2–2 बिस्वा भूमि को छोड़कर ...1 बिस्वा रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में ...ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी ...िकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12.03.2007 को ...र्णय पारित कर चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21व 22 के ...क्षिणी सीमा पर खाला की 2–2 बिस्वा भूमि को छोड़कर पूर्व से पश्चिम की और 1–1 ...स्वा व मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 6 व 15, 16 व 25 के पूर्वी सीमा पर खाला की ...–2 बिस्वा भूमि को छोड़कर 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता की भूमि के बदले ...प्रार्थी सं 1 को मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 5 की दो बिस्वा भूमि व अप्रार्थी सं. 3 व ... को मुरब्बा नम्बर 88 के किला नम्बर 2 की एक बिस्वा भूमि दिये जाने का निर्णय पारित किया गया। निर्णय उपरान्त माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में अपील 29/07 दायर हुई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित मुरब्बा नम्बर व किला नम्बर में 2–2 बिस्वा भूमि खाला की भूमि के तथ्य को विलोपित करते हुए 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करते हुए दिनांक 25.03.2009 को निर्णय पारित किया गया। तदूपरांत उक्त निर्णय दिनांक 25.03.2009 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या 2503/2009 दायर हुई जिसमें निर्णय दिनांक 21.12.2016 में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मौके की रिपोर्ट लेकर दोनो पक्षों को सूना जाकर उचित निर्णय पारित करने का निर्णय पारित किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः वाजवा नम्बर पर जारी किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने राजीनामा पेश किया एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के पत्थर नम्बर 431/454 के किला नम्बर 21 व 22 में खाला स्वीकृत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivrah
Date: 2025.09.24 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने ... वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवगमन के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के रोही मौजा चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 व 22 की दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन से चिपते हुए 1½ बिस्वा यानि 12 फीट 3 इंच चौड़ाई व पूरे किले की लंबाई तक का रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए रास्ता की भूमि के एवज में प्रार्थी ने

रास्ता की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को भूमि पूर्व में दी जा चुकी है एवं इसी आशय का राजीनामा पेश किया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी खातेदारी चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 व 22 की दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन से चिपते हुए 1½ बिस्वा यानि 12 फीट 3 इंच चौड़ाई व पूरे किले की लंबाई तक का रास्ता का उपयोग करता है उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है जिसके प्रतिफल में अप्रार्थीगण को भूमि पूर्व में प्राप्त हो चूकी है इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन तथा नियमित उपयोग—उपभोग की दृष्टि से प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 व 22 की दक्षिणी तरफ पत्थर लाईन से चिपते हुए 1½ बिस्वा यानि 12 फीट 3 इंच चौड़ाई व पूरे किले की लंबाई तक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:53:08 IST
Reason: SelfAttested